सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया

20

अध्याय

सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया

सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया से संबंधित कार्यकलाप

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परिदृश्य के विविधीकरण और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ, उपयोगकर्ता की बदलती अपेक्षाओं के मद्देनजर गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाना सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है।

वर्ष 2024–25 में, एनआईसी की मदद से कोयला मंत्रालय ने बेहतर योजना, निगरानी और निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न निर्णय समर्थन प्रणाली को लागू करने की दिशा में कड़ी मेहनत और नेतृत्व किया है। एमआईएस अनुप्रयोगों/वेबसाइट के लिए मुख्य लाभ मंत्रालय के कार्यभार को कम करना और इसके कार्य में समग्र पारदर्शिता बढ़ाना है।

कोयला मंत्रालय में एनआईसी कोयला कंप्यूटर सेंटर सुरक्षित बहु–मंच कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोगों / समाधान, डाटाबेस समर्थन, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, वीपीएन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को वितरित करने और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने अवसंरचना के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और कोयला मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती को गति देने के लिए एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है।

एनआईसी की कोयला मंत्रालय में एक समर्पित टीम है जिसमें उप महानिदेशक (डीडीजी) रैंक का एक अधिकारी, विभागाध्यक्ष (एचओडी) के रूप में एक वरिष्ठ निदेशक (आईटी), एक वैज्ञानिक–बी और एक वैज्ञानिक/अधिकारी इंजीनियर–एसबी रैंक का अधिकारी है। मंत्रालय ने निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) प्रकोष्ठ के समन्वय से विभिन्न परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं:

1.1. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परियोजनाएं/गतिविधियां

- ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन
- ई–गवर्नेंस गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- सभी वेबसाइटों का प्रशासन, अद्यतन और रखरखाव तथा संसाधन प्रबंधन, कार्यक्षेत्र प्रबंधन, आवश्यकता अध्ययन आदि जैसे अनुप्रयोग परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप।
- अवसंरचना के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए एनआईसी क्लाउड–मेघराज पर वेब साइटों, वेब पोर्टलों और वेब आधारित अनुप्रयोगों की तैनाती।
- साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों, सलाह, अलर्ट आदि का अनुपालन।
- विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और आईसीटी गतिविधियों से संबंधित सभी स्टेकहोल्डरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और इंटरनेट सेवाओं का रखरखाव।
- ई–मेल निर्माण और मंत्रालय के अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं पर सहायता
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- ई–ऑफिस, ई–एचआरएमएस, ई–समीक्षा, स्पैरो, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई–विजिटर्स आदि के रूप में दिन–प्रतिदिन काम करने के लिए मंत्रालय में उपयोग किए जा रहे ऑफिस ऑटोमेशन

अनुप्रयोगों का समर्थन।

- कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसीआईएल, एससीसीएल और सीएमपीएफओ को उनकी आईसीटी संबंधी परियोजनाओं/गतिविधियों में सहायता
- सभी एनआईसी एप्लिकेशन के साथ–साथ एनआईसी ईमेल सेवा का उपयोग करने वाली सभी सहायक कंपनियों के लिए ईमेल रिले सेवा का माइग्रेशन।
- एनजीसी क्लाउड में माइग्रेट करने और क्लाउड पर अनावश्यक वीएम और एप्लिकेशन को बंद करने में मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों की सहायता करना।
- जीपीओए भवन में नेटवर्क सेवाओं के सेटअप का प्रबंधन।
- कोयला आयात निगरानी प्रणाली का डीपीआईआईटी द्वारा प्रबंधित एक एकीकृत पोर्टल से कोयला मंत्रालय को नए यूआरएल अर्थात् https://imports.coal.gov.in के साथ पूरा माइग्रेशन।
- कोयला मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् coal.gov.in के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- डिजिटल इंडिया मिशन के भाग के रूप में कोयला शक्ति डैशबोर्ड का विकास।

1.2. ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग/पोर्टल एनआईसी मंत्रालय के अधिकारियों को सामान्य ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों पर सहायता भी प्रदान करता है जैसे किः

- https://coal.eoffice.gov.in
- https://pgportal.gov.in (शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल)
- https://pfms.nic.in (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली)
- http://bhavishya.gov.in (पेंशन, मंजूरी और भुगतान ट्रैकिंग सिस्टम)
- https://e-samiksha.gov.in
- https://limbs.gov.in (न्यायालय मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लीकेशन)
- https://esamiksha.gov.in/ ई–समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई प्रस्तुतियों, केंद्र–राज्य–समन्वय मुद्दों, मंत्रिमंडल द्वारा की गई टिप्पणियों, सचिवों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों आदि के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक रियल–टाइम ऑनलाइन प्रणाली है।
- ई–निविदा (निविदा प्रकाशन के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक खरीद पोर्टल), ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), ई–सेवा पुस्तिका, स्पैरो, स्वागत (आगंतुक प्रबंधन प्रणाली), आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, आदि।

1.3. ई–गर्वनेंस पहलें: मंत्रालय के लिए विकसित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियां/अनुप्रयोग निम्नानुसार हैं:

i. सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टलः (https://swcs.coal.gov.in)

भारत सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता लाने की पहल के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय ने एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की अवधारणा की थी जो भारत में कोयला खानों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के साथ–साथ एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है।

कोयला खान शुरू करने के लिए विभिन्न सांविधिक प्रावधान जैसे खनन योजना और खान समापन योजना का अनुमोदन, खनन पट्टा प्रदान करना, पर्यावरण और वन स्वीकृति, स्थापित करने के लिए सहमति, प्रचालन के लिए सहमति, वन्यजीव स्वीकृति, विस्फोटक के भंडारण के लिए विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) की अनुमति, भूमि अधिग्रहण मॉड्यूल, सुरक्षा प्रबंधन योजना

(डीजीएमएस के साथ), केन्द्रीय भूजल स्वीकृति आदि पूर्वापेक्षाएं हैं। ये स्वीकृतियां विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह पोर्टल कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक मंजूरियों (केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को कवर करते हुए) का मानचित्रण करता है।

पोर्टल को न केवल प्रासंगिक आवेदन प्रारूपों को मैप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह को मैप करने और एपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। कारोबार में सुगमता लाने की सुविधा के लिए, एसडब्ल्यूसीएस का एक एकीकृत मंच तैयार किया गया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से खनन योजनाओं और खान बंद करने की योजनाओं के अनुमोदन और नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एनएसडब्ल्यूसीएस) के साथ एकीकरण के लिए पहले से ही परिचालन मॉड्यूल शामिल है।

पंजीकरण मॉड्यूल, खनन योजना मॉड्यूल, सीबीए की धारा 7 (1) के तहत आपत्ति अधिसूचना प्रस्तुत करना और संकल्प मॉड्यूल का संचार, परिवेश पोर्टल 1.0 (वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, तटीय विनियामक क्षेत्र मंजूरी, प्रचालन के लिए सहमति, और स्थापना के लिए सहमति), और नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के साथ एकीकरण डिजिटल इंडिया के भाग के रूप में पूरा किया गया था।

डिजिटल इंडिया पहल के भाग के रूप में नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ कोयला मंत्रालय के एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल का एकीकरण किया गया था। पीआईएनजी एपीआई, प्रमाणीकरण एपीआई, पुल दस्तावेज़ एपीआई और पुश पुनर्निर्देशन एपीआई पूरा हो चुका है। एनएसडब्ल्यूएस के साथ एसडब्ल्यूसीएस पोर्टल के सफल एकीकरण के बाद परियोजना प्रस्तावक अब एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जो अब स्टेकहोल्डरों के लिए अपना पंजीकरण पूरा करने के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, पीआरआईएमएस (प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम) नामक एक मॉड्यूल को शुरू किया गया है, जिसमें कोयला ब्लॉकों से संबंधित मूल जानकारी संग्रहीत की जाती है, जैसे कि वह अधिनियम जिसके तहत खान आवंटित की जाती है, सभी उपलब्धियों को पूरा करने के लिए आवंटित समय, खनन की विधि, कोयले का प्रकार, कोयला ब्लॉक की स्थिति (अन्वेषित, अनन्वेषित), भंडार का विवरण, प्रचालन की तारीख सहित अधिकतम निर्धारित क्षमता, खानों का जीवनकाल, के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का निर्णय लिया है। मॉड्यूल कोयला खानों के निहित होने के बाद उनके विकास को ट्रैक करता है, सीएमडीपीए के दक्षता मापदंडों में उल्लिखित सभी उपलब्धियों की निगरानी करता है। यह नियत और वास्तविक पूर्णता तिथियों के साथ उपलब्धियों की एक सूची प्रदर्शित करता है, जिसे कोयला खान को शुरू करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। यह दैनिक और मासिक आधार पर प्रत्येक खान के कोयला उत्पादन को भी ट्रैक करता है, जिससे मंत्रालय को कोयला उत्पादन की निगरानी करने और कोयला खानों के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह खानों से कोयला प्रेषण के विवरण को ट्रैक करता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.11.2024 को, कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा दी गई खान खोलने/सीम ओपनिंग अनुमतियों की प्रोसेसिंग और जारी करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस वेब पोर्टल पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया। यह पहल नई कोयला खानें शुरू करने अथवा नई कोयला परतें खोलने के लिए खान खोलने/सीम खोलने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर तथा तेज करती है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म परियोजना समर्थकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम बनाता है, मैन्युअल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को हटाता है और प्रोसेसिंग समय

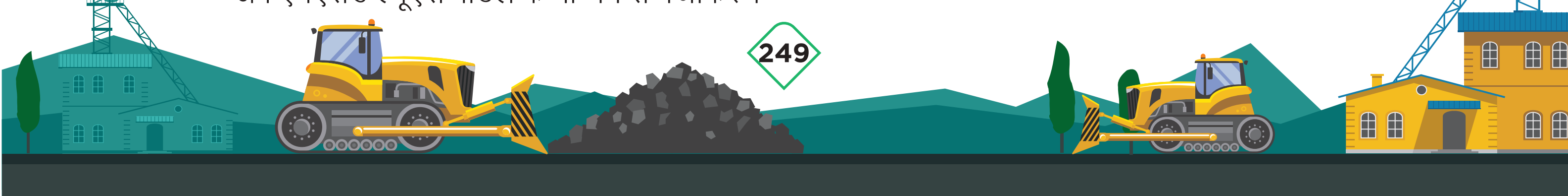

को बहुत कम करता है। आवेदक रियल टाइम में अपने आवेदनों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं, निकासी प्रक्रिया के दौरान अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं। कोयला खनन विनियामक ढांचे के इस महत्वपूर्ण घटक को सरल बनाकर, कोयला मंत्रालय का लक्ष्य उद्योग के भीतर अधिक कुशल और निवेश के अनुकूल वातावरण बनाना है।

ii. **कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस): (https://imports.gov.in/CIMS)**

कोयला आयात निगरानी प्रणाली विकसित की गई है और आयातकों के लिए इसका रखरखाव किया गया है ताकि वे इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कोयला मदों के आयात के लिए अग्रिम सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऑनलाइन डाटा/सूचना प्रस्तुत करने पर, सिस्टम एक ऑटोमेटिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर उत्पन्न करता है। इस उद्देश्य के लिए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई मैनुअल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

यह पोर्टल सरकार को आयात किए जा रहे कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर नजर रखने और तदनुसार नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है। कोयले की जिन श्रेणियों पर सीआईएमएस लागू होगी उनमें एन्थ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला शामिल हैं। सीआईएमएस में पहले के ऑनलाइन पंजीकरण देखने की सुविधा भी है। इसके अलावा, अपूर्ण आवेदन जो डीजीएफटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे भी समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए सीआईएमएस में उपलब्ध हैं।

iii. **कोयला खान पोर्टल की स्टार रेटिंग: (https://starrating.coal.gov.in)**

कोयला खनन प्रचालनों से अनेक नियमों, विनियमों का अनुपालन करने की आशा की जाती है। ये मुख्य रूप से सुरक्षा, पर्यावरण, परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, कामगारों के कल्याण आदि से संबंधित हैं। सभी खानों से सभी विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। स्टार रेटिंग नीति का उद्देश्य सात प्रमुख मापदंडों: खनन प्रचालन, पर्यावरण से संबंधित पैरामीटर, प्रौद्योगिकियों को अपनाना, सर्वोत्तम खनन प्रथाएं, आर्थिक निष्पादन, पुनर्वास पुनर्स्थापन, कामगारों से संबंधित अनुपालन और सुरक्षा संरक्षा में विभिन्न कारकों के आधार पर खानों का मूल्यांकन करना है।

खानों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देने तथा उन्हें उचित मान्यता देने के लिए, एनआईसी–कोयला टीम ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग नामक एक वेब पोर्टल विकसित और अनुरक्षित किया गया था, जिसके ऐसा करने की उम्मीद है।

खानें एक व्यापक स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर रही हैं और बाद में कोयला नियंत्रक द्वारा नियुक्त समीक्षक तथा तत्पश्चात् स्वयं कोयला नियंत्रक द्वारा विधिमान्यकरण किया जाता है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा करके और जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा देकर देश में कोयला और लिग्नाइट खनन के समग्र निष्पादन और संधारण ीयता को बढ़ाना है। सम्मानित रेटिंग फाइव स्टार से लेकर शून्य स्टार तक होती है, जो प्रत्येक खान की उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन करती है।

iv. **मंत्रालय की वेबसाइट: (https://coal.gov.in)**

वेबसाइट किसी भी संगठन का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय की वेबसाइट को नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फिर से डिजाइन किया गया है। यह सरल संचालन और प्रबंधन के साथ एक सीएमएस संचालित प्रणाली है। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी, उपयोगकर्ता के अनुकूल है और महत्वपूर्ण तथा नवीनतम अद्यतित सूचना के लिए एक सरल नेविगेशन और त्वरित पहुंच प्रदान करती है। वेबसाइट को सभी हैंड–हैल्ड उपकरणों से अभिगम्य करने के लिए रिस्पोंसिव बनाया गया है।

मंत्रालय की वेबसाइट को कोयला उत्पादन प्रेषण,

कोयला ब्लॉक आवंटन कोयला खानों की नीलामी, कोयला खानों में सुरक्षा, अधिनियम नीतियां, संधारणीय विकास, प्रौद्योगिकी रोडमैप, कोयला गैसीकरण, निविदा सूचनाएं, विज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट, कार्यक्रम, प्रेस विज्ञप्ति, आयोजित और आयोजित की जाने वाली गतिविधियां आदि जैसे नवीनतम कोयला सांख्यिकी को जोड़कर दैनिक आधार पर अद्यतित किया जाता है। वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है और प्रमुख उपलब्धियों को जोड़कर तथा वीडियो सामग्री और फोटो गैलरी (कार्यक्रम/घटना–वार) आदि जोड़कर समृद्ध किया जाता है। साइट की सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है और सभी सरकारी वेबसाइट के लिए आवश्यक एसटीक्यूसी स्वीकृति भी ली जाती है। दिव्यांग व्यक्ति हेतु बेहतर पहुंच के लिए आईएएपी प्रमाणित एजेंसी से वेबसाइट का अभिगम्यता लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

v. **राष्ट्रीय कोयला पोर्टल (कोयला डैशबोर्ड) (https://ncp.cmpdi.co.in)**

राष्ट्रीय कोयला पोर्टल, एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है और अंत्य उपयोगकर्ताओं के लिए कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) साझा करने के लिए अनुरक्षित किया गया है। यह डैशबोर्ड दैनिक आधार पर रियल टाइम कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण की निगरानी करता है। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) आधारित विश्लेषण किया गया था। कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के केपीआई को वेब एपीआई का उपयोग करके प्रयास पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

यह डैशबोर्ड कोयला/लिग्नाइट उत्पादन, कोयला/लिग्नाइट ऑफ्टेक, अन्वेषण, केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति, अवसंरचना परियोजनाओं, ब्लॉकों के आवंटन (सीएमएसपी/एमएमडीआर), प्रमुख कोयला खानों (सीआईएल) की निगरानी, कोयला मूल्य, संधारणीय विकास गतिविधियों से संबंधित केपीआई निष्पादन करता है। पोर्टल में कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण के संबंध में विभिन्न प्रकार की ग्राफिकल रिपोर्ट शामिल हैं।

vi. **ई–ऑफिस: (https://coal.eoffice.gov.in)**

ई–ऑफिस एक वेब–आधारित प्रणाली है जिसे मंत्रालय में फाइलों और प्राप्ति की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए कार्यान्वित और अनुरक्षित किया गया है। ई–ऑफिस उत्पाद का उद्देश्य अंतर और अंतर–सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से अभिशासन का समर्थन करना है।

इस प्रणाली में सभी चरण शामिल हैं, जिसमें आवक प्राप्तियों का डायरीकरण, फाइलों का निर्माण, प्राप्तियों और फाइलों की आवाजाही, फाइलों की ट्रैकिंग, खोज और अंत में, रिकार्डों का अभिलेख शामिल है। यह कोयला मंत्रालय में पूरी तरह कार्यात्मक है। मंत्रालय में फाइलों का वास्तविक रूप से कोई प्रचालन नहीं होता है। मंत्रालय के सभी अधिकारियों को गैर–एनआईसीएनईटी नोड्स/लैपटॉप से इस पोर्टल तक पहुंचने के लिए वेब वीपीएन सेवाएं प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यालय के बाहर से ई–ऑफिस प्लेटफॉर्म में निरंतर काम किया जा सके। मंत्रालय के अधिकारियों को समय–समय पर आवश्यक प्रचालन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने ई–ऑफिस 7-x के नए संस्करण में सफलतापूर्वक माइग्रेट किया है।

vii. **ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली): https://e-hrms.gov.in**

ई–एचआरएमएस को कोयला मंत्रालय में नया रूप दिया गया है और कार्यान्वित किया गया है। मानव संपदा (मानव पूंजी के लिए उचित नाम, किसी भी सरकार, संगठन या कंपनी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है) सरकारी क्षेत्र के लिए एक मानक आईसीटी समाधान है, जो कार्मिक प्रबंधन से संबंधित राज्य सरकारों की अधिकतम आवश्यकताओं को संबोधित करता है। मानव संपदा

का पहला और मूल उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से कर्मियों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य/केंद्र सरकार के संगठनों को एक सामान्य, उत्पाद–आधारित समाधान प्रदान करना है। यह कर्मचारियों की सही संख्या, सेवानिवृत्ति पैटर्न, भर्ती की योजना बनाने के लिए आने वाले वर्ष में अतिरिक्त आवश्यकताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक धनराशि, राज्य के भीतर अन्य विभागों / संगठनों को अधिशेष कर्मचारियों के पुनः आवंटन, एसीआर/संपत्ति रिटर्न स्थिति, वरिष्ठता सूची आदि जानने में शीर्ष प्रबंधन की सहायता करता है।

मंत्रालय के कर्मचारी न केवल अपनी सेवा पुस्तिका, छुट्टी आदि के बारे में अपने सभी विवरण देख सकेंगे, बल्कि एक ही मंच पर विभिन्न प्रकार के दावों/प्रतिपूर्ति, ऋण/अग्रिम, छुट्टी, अवकाश नकदीकरण, एलटीसी अग्रिम, टूर आदि के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

पेंशन पेपर तैयार करने, वेब सेवाओं के माध्यम से ई–वेतन के साथ एकीकरण, ऑनलाइन संपत्ति रिटर्न, पेंशन पत्रों को जेनरेट करने, भुगतान की स्थिति के रूप में अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ा गया है। इसने निगरानी अधिकारियों और कर्मचारी दोनों के लिए मूल्य जोड़ा है।

viii. **प्रयास–पीएमओ डैशबोर्ड:** (https://prayas.nic.in) मंत्रालय की दो योजनाओं (कोयला उत्पादन और कोयला प्रेषण) के माह–वार डाटा को वेब एपीआई का उपयोग करके पीएमओ के प्रयास डैशबोर्ड के साथ एकीकृत किया गया था। यह डैशबोर्ड शीर्ष स्तर पर निगरानी के लिए समय श्रृंखला विश्लेषण के साथ विभिन्न केपीआई दिखाता है। प्रयास डैशबोर्ड केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर रहा है, जिनकी निगरानी पीएमओ, मंत्री और अन्य शीर्ष स्तर पर एक ही मंच पर योजना और निगरानी के उद्देश्य से की जा रही है।

ix. **पीएम गतिशक्ति–** राष्ट्र मास्टर प्लान (पीएमजीएस–एनएमपी) में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर स्थानिक नियोजन उपकरणों का उपयोग करती हैं। कोयला मंत्रालय ने पीएम जीएस–एनएमपी पोर्टल के माध्यम से अवसंरचना की योजना और निगरानी के लिए विशेषताओं और मेटाडाटा के साथ मैप किए गए 100 से अधिक डाटा परतों की पहचान की है। डाटा स्तर योजना चरण के दौरान संबंधित मंत्रालयों के संसाधनों की एकीकृत योजना प्रक्रिया को बढ़ाते हैं।

कोयला मंत्रालय ने धीरौली कोयला ब्लॉक से गुजरने वाली पारेषण लाइन के वैकल्पिक मार्ग, कोयला ब्लॉकों के साथ ओवरलैपिंग से बचने के लिए पेलमा–सरदेगा और तेनतुलोई–बुधापंक लाइनों के वैकल्पिक रेल संरेखण आदि जैसे मुद्दों को हल करने के लिए पीएमजीएस–एनएमपी पोर्टल का उपयोग किया है। मंत्रालय पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड और अनुप्रयोगों के विकास के माध्यम से कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं के अन्वेषण से लेकर योजना और निष्पादन तक कोयला संसाधन की मूल्य श्रृंखला बनाने और मंत्रालय के पोर्टल के साथ एकीकृत करने की भी इच्छा रखता है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की परियोजना रिपोर्टों का विश्लेषण कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत योजना हेतु पीएमजीएस–एनएमपी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है।

x. **तृतीय पक्ष परीक्षण एजेंसी के लिए पोर्टल (https://starrating.coal.gov.in/tpa_cco/)**

इस पोर्टल को कोयला ग्रेड की जांच के लिए पैनल प्रक्रिया को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया था, जिसे पहले एक ऑफ़लाइन और बोझिल प्रणाली के माध्यम से किया गया था जिसमें व्यापक कागजी कार्रवाई, मैनुअल सत्यापन और लंबी समयसीमा शामिल थी। यह प्लेटफॉर्म मानकीकृत नमूनाकरण को सक्षम बनाता है और स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है जो कोयला कंपनियों और अंत्य उपयोगकर्ताओं के बीच तटस्थ लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पूरे पैनल और जांच की रूपरेखा को ऑनलाइन स्थानांतरित

करके, पोर्टल प्रशासनिक बोझ को कम करता है, कोयला ग्रेड मूल्यांकन पर विवादों को कम करता है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है, और कोयला क्षेत्र में दक्षता तथा कारोबार में सुगमता लाने में काफी सुधार करता है।

xi. कोयला शक्ति डैशबोर्ड का विकास

कोयला शक्ति डैशबोर्ड डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय की निगरानी और स्मार्ट एनालिटिक्स को सक्षम करता है। एंड–टू–एंड निर्णय–समर्थन प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह कोयला उत्पादन, परिवहन और प्रेषण पर डेटा को एकीकृत करता है, जिससे कोयला कंपनियों, रेलवे, बंदरगाहों, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों जैसे प्रमुख हितधारकों के बीच निर्बाध समन्वय की अनुमति मिलती है। रीयल–टाइम ट्रैकिंग, डेटा–संचालित पूर्वानुमान और घटना अलर्ट जैसी सुविधाओं के माध्यम से, डैशबोर्ड नीति निर्माण को मजबूत करता है, प्रचालन दक्षता बढ़ाता है और कोयला क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और अभिशासन को बढ़ावा देता है।

2. कोयला मंत्रालय की साइबर सुरक्षा

कोयला मंत्रालय ने एप्लीकेशन पोर्टलों की सुरक्षा करने और मंत्रालय में आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए सीईआरटी–इन (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल) द्वारा साइबर मुद्दों के संबंध में सुरक्षा सलाह को पूरी तरह से कार्यान्वित किया है। मंत्रालय में सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। सीईआरटी–इन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, साइबर खतरों और घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने और मंत्रालय के संपूर्ण नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की गई है। साइबर सुरक्षा के संबंध में एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुदेश भी सभी सीपीएसई को आवश्यक अनुपालन के लिए परिचालित किए गए हैं। सीईआरटी–इन, आईबी, एनआईसी–सीईआरटी, एनसीआईआईपीसी, आई4सी से प्राप्त सलाहों/अलर्ट/कमजोरियों का तुरंत समाधान किया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) और यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में स्थापित किया गया है। ईडीआर मुख्य रूप से खतरे का पता लगाने और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। यह सुरक्षा खतरों की पहचान करने और उनका जवाब देने के लिए समापन बिंदु गतिविधियों की निगरानी और विश्लेषण करता है। यूईएम एंडपॉइंट को कुशलतापूर्वक बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ़्टवेयर परिनियोजन, कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन और पैचिंग जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।

मंत्रालय की वेबसाइट और विकसित सभी एप्लिकेशन/पोर्टल को सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा सुरक्षा ऑडिट प्राप्त करने के बाद एनआईसी क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है ताकि इन एप्लिकेशन/पोर्टलों को बाहरी खतरों से सुरक्षित किया जा सके। सभी वेबसाइटों/अनुप्रयोगों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) प्रमाणपत्र है।

पासवर्ड प्रबंधन, ईमेल सुरक्षा, डेस्कटॉप प्रबंधन, रिमूवेबल मीडिया सुरक्षा, सामाजिक मीडिया सुरक्षा, साइबर सुरक्षा एडवाइजरी और घटना रिपोर्टिंग आदि जैसे विभिन्न साइबर सुरक्षा पहलुओं पर सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं। कोयला मंत्रालय में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क उपकरणों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की गई है।

मंत्रालय के अधिकारियों को मौजूदा साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से दिनांक 28 अगस्त, 2025 को "साइबर सुरक्षा पर कार्यशाला सह समीक्षा बैठक" का आयोजन किया गया है। कार्यशाला ने अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और मंत्रालय में सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की वकालत की।

अक्टूबर के महीने को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (NCSAM) के रूप में मनाया जाता था।

इस वर्ष के अभियान का विषय "साइबर जागृत भारत" है। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य साइबर स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और देश भर में साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कोयला मंत्रालय ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों के साथ साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में कर्मचारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए सोशल मीडिया जुड़ाव, कर्मचारियों के लिए कार्यशाला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि जैसी कई पहलों के माध्यम से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

मंत्रालय नेटवर्क में तैनात सभी आईटी परिसंपत्तियों जैसे डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्विच आदि की अद्यतन सूची रखता है और पुराने/अप्रचलित नेटवर्क उपकरणों (स्विच) और एंड प्वाइंट्स को चरणबद्ध तरीके से नवीनतम मूल सॉफ्टवेयर के साथ नए उपकरणों के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा अनुपालन को पूरा न करने वाले सभी एंड प्वाइंट्स को मंत्रालय के नेटवर्क से काट दिया गया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा:

मंत्रालय में एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के साथ महत्वपूर्ण बैठकें, संचालन बोर्ड की बैठकें, उप–समूह बैठकें, आईसी बैठकें आदि आयोजित करने में सुविधा हो सके। 5 स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सिस्टम प्रचालनरत हैं और सभी डेस्कटॉप में डेस्कटॉप आधारित वीसी (भारत वीसी) सुविधा है। इस वर्ष के दौरान लगभग 850 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। 'प्रगति' पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वीसी बैठक के दौरान भी इस सुविधा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

4. लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन):

इंटरनेट का उपयोग करने और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संचार के लिए मंत्रालय में एक एलएएन स्थापित किया गया है। लगभग दो सौ छ उपयोगकर्ता एलएएन से जुड़े हैं। उपयोगकर्ता मशीनों पर इंटरनेट के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एनआईसी–एफएमएस टीम द्वारा सभी प्रकार की ट्रबल शूटिंग की जाती है। ईडीआर और यूईएम को वायरस, मालवेयर और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार उनके प्रबंधन से अग्रिम सुरक्षा और एमईआईटीवाई, भारत सरकार की नीति के अनुसार सभी क्लाइंट्स के लिए स्थापित किया गया है।

5. ईमेल/वीपीएन क्लाउड सपोर्ट:

जब कभी आवश्यक होता है, मंत्रालय के अधिकारियों के ई–मेल अकांउट्स के सृजन पर एनआईसी–कोयला टीम द्वारा कार्रवाई की जाती है। एनआईसीएनईटी के अलावा अन्य नेटवर्कों से ई–ऑफिस तक पहुंचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) अकांउट्स से संबंधित अनुरोधों पर मंत्रालय की एनआईसी टीम के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

6. वाई–फाई सपोर्ट:

लैपटॉप अथवा मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए मंत्रालय में वाई–फाई एक्सेस प्वाइंट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाया गया है। वाई–फाई कनेक्शन और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर्म प्रोसेसिंग एनआईसी–कोल टीम द्वारा की जाती है। आज की तारीख में, मंत्रालय में लगभग 10 वाई–फाई एक्सेस प्वाइंट संस्थापित किए गए हैं। वाई–फाई से संबंधित समस्याओं की ट्रबल शूटिंग एनआईसी नेटवर्क टीम द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

मीडिया

पिछले एक वर्ष के दौरान, कोयला मंत्रालय के मीडिया सेल ने मंत्रालय के संचार इकोसिस्टम का समर्थन करने में एक संधारणीय और बहुआयामी भूमिका निभाई है। कोयला भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है, मीडिया सेल ने यह सुनिश्चित किया कि नीतिगत पहलों, प्रचालनात्मक विकास, संधारणीय उपायों, तकनीकी हस्तक्षेपों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को विभिन्न हितधारकों को प्रभावी ढंग से सूचित किया जाए। मीडिया सेल का कार्य केवल सूचना के नियमित प्रसारण तक सीमित नही था, बल्कि इसमें आंतरिक प्रभागों, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मीडिया संगठनों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय शामिल था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहभागिता, विस्तारित डिजिटल आउटरीच, लाइव इवेंट

कवरेज, विजुअल स्टोरीटेलिंग और मुद्दा–आधारित संचार के संयोजन के माध्यम से, मीडिया सेल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करते हुए कोयला क्षेत्र के बारे में पारदर्शिता, जन जागरूकता और सूचित संवाद में योगदान दिया।

1. मीडिया योजना और नीतिगत संचार

पूरे वर्ष के दौरान, मीडिया सेल ने मंत्रालय की नीतिगत पहलों और क्षेत्रीय सुधारों को सुसंगत और चरणबद्ध तरीके से संप्रेषित करने के लिए व्यवस्थित मीडिया योजना बनाई। संचार प्रयासों में वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी, कोयला लिंकेज सुधार, कोयला गैसीकरण पहल, खान बंद करने की योजना, संधारणीयता के उपाय और व्यापक कोयला क्षेत्र सुधार जैसे प्रमुख नीतिगत क्षेत्र शामिल थे। मीडिया सेल ने नीतिगत विवरणों को समझने के लिए संबंधित प्रभागों के साथ मिलकर काम किया और यह सुनिश्चित किया कि सूचना स्पष्ट, सटीक और मीडिया पेशेवरों, उद्योग हितधारकों तथा आम जनता के लिए सुलभ तरीके से प्रस्तुत की जाए। नीतिगत उद्देश्यों, प्रगति और निहितार्थों की व्याख्या करने पर जोर दिया गया ताकि संचार अलग–अलग घोषणाओं के बजाय सूचित समझ का समर्थन कर सके।

2. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सहभागिता

मीडिया सेल ने पूरे वर्ष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सतत जुड़ाव बनाए रखा। इसमें पत्रकारों के साथ नियमित बातचीत, पीआईबी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से सूचना का प्रसार, साक्षात्कार और कार्यक्रम कवरेज के लिए समन्वय और मीडिया के प्रश्नों के अनुवर्ती प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। व्यापक भौगोलिक और क्षेत्रीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोयला उत्पादन निष्पादन, तकनीकी प्रगति, सीएसआर पहल और संधारणीयता प्रयासों से संबंधित कवरेज की सुविधा प्रदान की गई। लगातार जुड़ाव बनाए रखते हुए, मीडिया सेल ने रिपोर्टिंग में निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद की और मीडिया को कोयला क्षेत्र में विकास पर विश्वसनीयता बनाए रखने और समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता की।

3. प्रेस विज्ञप्ति जारी करना और संरचित सूचना प्रसार

प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना मीडिया सेल की मुख्य और संधारणीय गतिविधियों में से एक रहा है। नीतिगत निर्णयों, उत्पादन की उपलब्धियों, नीलामी से संबंधित विकास, तकनीकी हस्तक्षेप और भूमि सुधार जैसी संधारणीयत पहलों को संप्रेषित करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां नियमित रूप से तैयार और जारी की जाती थीं। तथ्यात्मक डेटा, संदर्भ और व्याख्यात्मक तत्वों के साथ इन रिलीज़ को स्पष्ट रूप से संरचित करने के लिए काफी प्रयास किए गए थे। जहां भी उपयुक्त हो, प्रेस विज्ञप्तियों को फोटोग्राफ, इन्फोग्राफिक्स और डेटा बिंदुओं के साथ पूरा किया गया ताकि मीडिया प्लेटफार्मों पर समझ में सहायता मिल सके और एक समान रिपोर्टिंग को सक्षम किया जा सके।

4. डिजिटल और सोशल मीडिया संचार

मीडिया सेल ने एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब और लिंक्डइन सहित कई प्लेटफार्मों पर मंत्रालय की डिजिटल उपस्थिति का सक्रिय रूप से प्रबंधन और विस्तार किया। कोयला उत्पादन, प्रेषण निष्पादन, नीतिगत पहल, संधारणीय उपायों, सीएसआर गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित अपडेट का प्रसार करने के लिए दैनिक आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। मंत्रालय के काम की नियमित दृश्यता सुनिश्चित करने और उद्योग हितधारकों, शोधकर्ताओं, छात्रों तथा आम जनता सहित विविध दर्शकों तक पहुंचने के लिए सामग्री की योजना बनाई गई थी और निर्धारित की गई थी।

5. प्लेटफ़ॉर्म–विशिष्ट सामग्री की कार्यनीति और डिजिटल नवाचार

प्रत्येक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की विशिष्ट प्रकृति को पहचानते हुए, मीडिया सेल ने प्लेटफ़ॉर्म–विशिष्ट सामग्री कार्यनीतियों को अपनाया। जटिल नीति और क्षेत्रीय मुद्दों को सरलीकृत और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शॉर्ट–फॉर्म वीडियो, रील, इन्फोग्राफिक्स, विजुअल एक्सप्लेनर, हिंडोला और लंबे समय तक सूचनात्मक पोस्ट विकसित किए गए थे। तकनीकी विषयों की समझ बढ़ाने के लिए विजुअल स्टोरीटेलिंग और डेटा प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान दिया गया।

सभी डिजिटल संचार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ जुड़े रहे, जिससे व्यापक सरकारी आख्यान के साथ सामंजस्य सुनिश्चित हुआ।

6. प्रमुख कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण और कवरेज

मीडिया सेल के काम के एक महत्वपूर्ण घटक में मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट और व्यापक मीडिया कवरेज की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इनमें वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का शुभारंभ और कोयला उत्पादक राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालन क्षेत्रों में माननीय मंत्री का दौरा शामिल था। यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर घटनाओं की लाइव स्ट्रीमिंग ने हितधारकों और जनता के लिए वास्तविक समय तक पहुंच को सक्षम किया, पारदर्शिता बढ़ाई और महत्वपूर्ण घोषणाओं, बातचीत और क्षेत्र में जुड़ाव में व्यापक भागीदारी की अनुमति दी।

7. सीएसआर और समुदाय–केंद्रित पहलों का संचार

मीडिया सेल ने मंत्रालय के तहत कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई सीएसआर पहलों के बारे में संप्रेषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मीडिया और डिजिटल कवरेज ने स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक सहायता, महिला सशक्तिकरण पहल, कौशल विकास कार्यक्रमों और निर्माण योजना जैसी योजनाओं से संबंधित समुदाय–उन्मुख कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डाला। इन संचार प्रयासों ने कोयला उत्पादक क्षेत्रों में की जा रही विकासात्मक गतिविधियों को दृश्यता लाने में मदद की और सामुदायिक कल्याण के साथ खनन कार्यों के एकीकरण का प्रदर्शन किया।

8. दृश्य कहानी सुनाना (विजुअल स्टोरीटेलिंग) और लाभार्थी–केंद्रित संचार

कल्याणकारी पहलों के मानवीय आयाम को उजागर करने के लिए लाभार्थी–केंद्रित संचार पर विशेष जोर दिया गया। मीडिया सेल ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के अधिकारियों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों से उनके घरों पर मिलने के वीडियो बनाने तथा अपलोड करने की सुविधा प्रदान की। इन वीडियो में जमीनी स्तर पर जुड़ाव का दस्तावेजीकरण किया गया, सहानुभूति और जवाबदेही को दर्शाया गया और बताया गया कि कैसे सीएमपीएफओ के अधिकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। इन दृश्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करके, मीडिया सेल ने यह सुनिश्चित किया कि मानवीय भावनाएं और वास्तविक जीवन का प्रभाव मंत्रालय के संचार विमर्श का एक अभिन्न अंग बने।

9. नेशनल मीडिया टूर

अपने सक्रिय मीडिया आउटरीच के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के लिए नेशनल मीडिया टूर का आयोजन किया ताकि पत्रकारों को कोयला खनन कार्यों के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जा सके। इन यात्राओं का उद्देश्य आधुनिक खनन पद्धतियों, तकनीकी नवाचारों, मजबूत सुरक्षा उपायों, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की तैनाती, और पुनरूद्धारित भूमि पर विकसित नवीकरणीय ऊर्जा और इको पार्क जैसी प्रगतिशील पहलों को प्रदर्शित करना था। इस दौरे में स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और कौशल विकास पहलों सहित सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से सामुदायिक विकास पर कोयला क्षेत्र के मजबूत फोकस पर भी प्रकाश डाला गया। खान संचालकों और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे संवाद को सक्षम करके, इस दौरे ने निष्कर्षण से अलग कोयला खनन की मीडिया समझ को बढ़ाया, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास में क्षेत्र की भूमिका पर सूचित, संतुलित और तथ्य–आधारित रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया।

10. संपूर्ण–सरकारी संचार और अंतर–मंत्रालयी समन्वय

वर्ष के दौरान संचार के प्रयासों को संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया गया था। मीडिया सेल ने श्रम सुधारों के कार्यान्वयन सहित नीतियों, सुधारों और क्रॉस–कटिंग पहलों से संबंधित संदेशों में संरेखण तथा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अन्य मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय किया। इस समन्वय ने एक एकीकृत सरकारी नैरेटिव प्रस्तुत करने, सभी प्लेटफार्मों पर जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने और संदेश के विखंडन या

दोहराव से बचने में मदद की।

11. मीडिया क्वेरी हैंडलिंग और समस्या प्रबंधन

मीडिया सेल ने मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देने और नियमित विकास और संवेदनशील मुद्दों दोनों से संबंधित संचार के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई। कोयला उत्पादन, आपूर्ति की स्थिति, उपलब्धता, नीतिगत मामलों और विनियामक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का संबंधित प्रभागों के साथ समन्वय में तुरंत और सटीक रूप से समाधान किया गया। इस प्रचालनरत सहभागिता ने तथ्यों को स्पष्ट करने, चिंताओं को दूर करने और गलत सूचना को रोकने में मदद की, जिससे सूचित सार्वजनिक संवाद में सहायता मिली।

कोयला मंत्रालय के मीडिया सेल ने मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रमुख उपलब्धियों का प्रसार करने के लिए निरंतर संचार पहल की। संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण से निर्देशित, इन प्रयासों ने सरकार के सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में कोयला क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करते हुए पारदर्शिता तथा जन जागरूकता को बढ़ाया।